

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 193]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 28, 2015/माघ 8, 1936

No. 193]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 28, 2015/MAGHA 8, 1936

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2015

का.आ. 262(अ).—केन्द्र सरकार एतद्वारा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 6 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (3) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री इन्द्र मोहन कपाही, प्रोफेसर, स्कूल ऑफ एप्लाइड साइन्सेज, महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश को तत्काल प्रभाव से तीन वर्ष की दूसरी अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का सदस्य नियुक्त करती है।

[सं. 7-4/2014-यू1(ए)]

एस. पी. गोयल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Higher Education)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th January, 2015

S.O. 262(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of Sub-section (3) of Section 5 read with clause (c) of Sub-section (1) of Section 6 of the University Grants Commission, Act, 1956 (3 of 1956), the Central Government hereby appoints Shri Inder Mohan Kapahy, Professor, School of Applied Sciences, Maharaja Agrasen University, Himachal Pradesh, as a Member of the University Grants Commission with immediate effect for a term of three years or till further orders, whichever is earlier.

[No.7-4/2014-U1(A)]

S. P. GOYAL, Jt. Secy.